Phone No – 07682 - 248179
E-MAIL-cmochatarpur@mpurban.gov.in
chhatarpur.mpnulm@gmail.com

NULM-MP

कार्यालय नगरपालिका परिषद, छतरपुर (म.प्र.)

कमांक /4307 / DAY-NULM / न.पा.छ. / 2019–20 छतरपुर दिनांक 22/10/19

कार्यादेश

प्रति,

Shri Mohsin Khan
(Vice President)
Bhagini Nivedita Shiksha Samiti
40, Shivshakti Naga, Ahamadpur, Hoshngabad Road, Bhopal- 462026
Email ID – bnssngo@gmail.com

विषय :– **DAY-NULM योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में EST&P घटक के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण संचालित करने हेतु कार्यादेश।**

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र कं. / 2774 / DAY-NULM / ई–टेण्डर / न.पा.छ. / 2019, छतरपुर दिनांक 02.07.2019।

2. इस कार्यालय का पत्र कं. / 3709 / DAY-NULM / न.पा.छ. / 2019, छतरपुर दिनांक 09.09.2019।

3. आपके द्वारा प्रस्तुत मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट (अनुबंध) दिनांक 18/10/2019।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा संपादित अनुबंध के अनुक्रम में दीनदयाल अंन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुक्रम में आपकी संस्था का चयन निम्नानुसार कोर्स हेतु किया गया है –

SL NO.	SECTOR NAME	COURSE NAME	SSC COURSE CODE	COURSE CATEGORY	NSQF Level	NO. OF TRAINEES	COURSE DURATION In Hours	TRAINING COST (Rs. in lakh)
1	Apparel, Made-Ups & Home Furnishing	Assistant Fashion Designer	AMH /Q1210	1	4	25	500	5.84
2	Beauty & Wellness	Beauty Therapist	BWS /Q0102	2	4	25	400	4.00
3	Healthcare	General Duty Assistant	I/HSS /Q5101	2	4	50	600	12.00
4	Banking, Financial Services and Insurance	Accounts Executive	BSC /Q8101	3	5	50	350	5.85
5	Management and Entrepreneurship & Professional	Security Officer	MEP /Q7202	2	6	25	250	2.50
6	Tourism & Hospitality	Front Office Executive	THC /Q0109	2	5	25	495	4.95
Total -						200		35.14

दिनांक 18/10/2019 को आपकी संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध (मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट) के बिन्दु A से F तथा 1–28 एवं निविदा में संलग्न निर्देश के विन्दु कमांक 1 से 23 में उल्लेखित कार्यों एवं शर्तों तथा DAY-NULM द्वारा EST&P प्रशिक्षण हेतु समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार Bhagini Nivedita Shiksha Samiti, Bhopal को कौशल प्रशिक्षण संचालन उपरोक्त 06 कोर्सों के लिये निम्नलिखित शर्तों / नियमों के अधींन कार्यादेश जारी किया गया है–

क्रमशः पेज क्र० --02

Phone No - 07682 - 248179
E-MAIL-cmochatarpur@mpurban.gov.in
chhatarpur.mpnulm@gmail.com

कार्यालय नगरपालिका परिषद, छतरपुर (म.प्र.)

क्रमांक / 4307 / DAY-NULM / न.पा.छ. / 2019–20 छतरपुर दिनांक 22/10/19

अनिवार्य नियम / शर्तें

1. संचालनालय के पत्र क्रमांक शा–9 / DAY-SULM / EST&P / 2019–20 / 16016 भोपाल दिनांक 16.09.2019 के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का प्रशिक्षण केन्द्र संबंधित सेक्टर में http: / / smart.nsdcindia.org पर प्रशिक्षण बैच समाप्ति के पूर्व / दिनांक 31.12.2019 तक मान्यता प्राप्त (Accredited/ Accreditation) होना चाहिये। साथ ही प्रशिक्षण केन्द्र पर एन.एस.क्यू.एफ. कोर्स के अनुसार निर्धारित योग्यता के अनुरूप स्मार्ट पोर्टल से सर्टिफाईड प्रशिक्षकों (TOT) तथा CAAF की प्रोफाईल सूची प्रशिक्षण प्रारंभ करने के उपरांत निकाय में जमा करना अनिवार्य है। यदि संस्था द्वारा समयानुसार स्मार्ट पोर्टल पर Accreditation की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित प्रशिक्षण / कोर्स की द्वितीय किश्त के भुगतान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेंट (अनुबंध) में उल्लेखित कार्यों एवं शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यादेश निरस्त करते हुये संस्था को ब्लेक लिस्टेड (कालातीत) / Dis-Engage कर दिया जावेगा।
3. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को प्रशिक्षण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना होगा।
4. रोजगार मूलक नियोजन अर्थात् प्लेसमेंट के रूप प्रस्तुत प्रशिक्षार्थी के नियुक्ति पत्र पर नियोक्ता कम्पनी का टेन नं. एवं जीएसटी नं. अनिवार्यतः दर्ज होना चाहिये तथा नियोजित हितग्राही के वेतन प्रूफ के रूप में प्रस्तुत सैलरी स्लिप पर ट्रान्जेकसन कोड एवं दिनांक दर्ज होना चाहिये। रोजगार अधारित प्लेसमेंट में ईपीएफ / पीएफ अनिवार्य है। स्वरोजगार मूलक नियोजन के लिये स्वरोजगार इकाई का ट्रेड लाईसेन्स एवं आय प्रूफ के लिये बैंक स्टेटमेंट ही मान्य होंगे।
5. शत–प्रतिशत सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूर्णता के 3 माह के अंदर रोजगार / स्वरोजगार में नियोजन अवसर प्रदान करना अनिवार्य होगा, परंतु न्यूनतम प्लेसमेंट 70 प्रतिशत (50 प्रतिशत रोजगार एवं 20 प्रतिशत स्वरोजगार) प्रशिक्षणार्थियों का शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन या रू. 6000 / – मासिक जो भी अधिक हो पर प्लेसमेंट अनिवार्य होगा। इस आशय का शपथ–पत्र प्रशिक्षण प्रारंभ के पूर्व DAY-NULM शाखा में जमा कराना अनिवार्य है। यदि निर्धारित अवधि (03 माह) के अंदर Placement नहीं किया जाता है तो संस्था को Black List / Dis-Engage कर दिया जायेगा साथ ही जमा PG राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. EST&P घटक के अंतर्गत प्रशिक्षित कुल महिला हितग्राहियों में से कम से कम 25 प्रतिशत महिलाओं के नवींन स्व–सहायता समूहों का गठन करना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्यादेश के पालन में संस्था दिनांक 01.11.2019 के पूर्व प्रशिक्षण प्रारंभ करने के संबंध में आवश्यक तैयारी करते हुये प्रशिक्षण प्रारंभ करने की दिनांक के संबंध में DAY-NULM शाखा को सूचित करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय नगर पालिका परिषद छतरपुर (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद छतरपुर
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, छतरपुर (म.प्र.)

क्रमशः पेज क्र.--03

Phone No - 07682 - 248179
E-MAIL-cmochatarpur@mpurban.gov.in
chhatarpur.mpnulm@gmail.com

कार्यालय नगरपालिका परिषद, छतरपुर (म.प्र.)

क्रमांक / 4308 / DAY-NULM / न.पा.छ. / 2019–20 छतरपुर दिनांक 22/10/19

पृ. क्रमांक / / DAY-NULM / न.पा.छ / 2019–20 / छतरपुर दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. मिशन संचालक, (DAY-NULM) संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. स्टेट मिशन मैनेजर (कौशल एवं आजीविका), (DAY-NULM) संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय नगरपालिका परिषद, छतरपुर की ओर प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद छतरपुर

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, छतरपुर (म.प्र.)